प्रेस नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 06.08.2025

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 28 वाहनों से 19000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 28 वाहनों से 19000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 251/2025 धारा 109, 191(2),191(3),115(2),352,351(3) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त नाम पता अनिल यादव पुत्र रामदरश यादव निवासी सोनबरसा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीनगर को आज दिनांक 06.08.2025 को ब्लाक मेंहदावल सोनबरसा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 20.06.2025 को विपक्षी उपरोक्त द्वारा वादिनी के पुत्र की गला दबाकर हत्या करने के प्रयास व मारपीट के संबंध में थाना मेंहदावल पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त पूर्व में दिनांक 09.07.2024 को अभियुक्त अजय यादव पुत्र हरिराम यादव निवासी मुडली थाना मेंहदावल जनपद संतकबीनगर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया था, गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 06.08.2025 को अभियुक्त उपरोक्त अनिल यादव पुत्र रामदरश यादव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्त नाम पता- अनिल यादव पुत्र रामदरश यादव निवासी सोनबरसा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री ददन राय, का0 अभिनन्दन गौड़, का0 गोविन्द यादव।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए बुजुर्ग की हत्या में वाँछित 01 अभियुक्त व 01 बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मेंहदावल ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0स0 246/2025 धारा 103(1) /191(2)/ 191(3)/115(2) /352/351(3)/125 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता बादल निषाद पुत्र लक्ष्मण निषाद निवासी अमरडोभा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर व 01 बाल अपचारी को बीमापार मोड़ के पास से गिरफ्तार कर मा0न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 14.06.2025 को ग्राम सिकतौर माफी में दो पक्षों के मध्य आम तोड़ने की बात को लेकर झगड़ा व लाठी डण्डा तथा ईंट पत्थर से मारपीट हुई, जिसमें सन्तबली यादव पुत्र सरजू यादव उम्र करीब 75 वर्ष की मृत्यु हो गयी तथा मृतक के पुत्र भगवानदास व नाती दुर्गेश को चोटें आयी थी। वादी दुर्गेश यादव पुत्र भगवान दास निवासी सिकटौर माफी थाना मेहंदावल जनपद संतकबीरनगर की तहरीर के आधार पर थाना मेंहदावल पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिनांक 15.06.2025 को 05 अभियुक्तों 01.श्यामधर मौर्य पुत्र राम जंजाली, 02.सुदर्शन पुत्र रामदवन निषाद, 03.रोहित निषाद पुत्र नेबूलाल, 04.सोहित उर्फ छोटू निषाद पुत्र नेबूलाल, 05.दीपक निषाद पुत्र दयाराम निवासीगण अमरडोभा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया था।गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 06.08.2025 को अभियुक्त उपरोक्त बादल निषाद पुत्र लक्ष्मण निषाद व 01 बाल अपचारी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम का विवरणः-

प्र0नि0 थाना मेंहदावल श्री सतीश कुमार सिंह, हे0का0 रामरतन तिवारी, का0 अनुराग सिंह, का0 जितेन्द्र यादव।